रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254607
CG-DL-E-07062024-254607

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2113] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946
No. 2113] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

का. आ. 2215(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गाया है) की अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है;

और, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तारीख 12 फरवरी, 2020 के अपने आदेश के द्वारा, मूल आवेदन संख्या 55/2019 (डब्ल्यूजेड), (गजुभा जेसर जाडेजा बनाम भारत संघ और अन्य) में अन्य बातों के साथ-साथ यह अवलोकन किया है कि कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील विनिर्माण उद्योगों को पूर्व पर्यावरण मंजूरी की अपेक्षा होती है;

और, केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसे कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील विनिर्माण उद्योगों हेतु एक निश्चित अवधि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपर्युक्त उक्त आदेश के अनुरूप एक सुविचारित विनिश्चय लिया था;

और, उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) क्रम संख्यांक का.आ. 5020 (अ) तारीख 22 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी

व्यक्तियों से जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर जिसको उक्त् प्रारुप अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी,आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में प्राप्त आक्षेप और सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(क) मद 2 (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

परियोजना या क्रियाकलाप		**निर्धारित सीमा के साथ श्रेणी**		**शर्तें यदि कोई हों**
		क	**ख**	
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
"2(ग)	पेलेट संयंत्र		क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी स्टैंडअलोन पेलेट संयंत्र	साधारण शर्त लागू होगी";

(ख) मद 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

परियोजना या क्रियाकलाप		**निर्धारित सीमा के साथ श्रेणी**		**शर्तें यदि कोई हों**
		क	ख	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"3	**सामग्री उत्पादन**			
3(क)	धातु कर्मीय उद्योग (लौह और अलौह)	(क) प्राथमिक धातु कर्मीय उद्योग-सभी परियोजनाएं	- स्पंज आयरन निर्माण <200 टीपीडी (<0.06 मिलियन टन प्रति वर्ष- एमटीपीए) द्वितीयक धातु कर्मीय उद्योग:	सामान्य शर्त लागू होगी. **टिप्पण:** i. निम्नलिखित नियमों के अधीन रजिस्टर्ड

IndiaCode

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥ 200 टीपीडी (≥0.06 एमटीपीए)

(ग) द्वितीयक धातु कर्मीय उद्योग:

≥0.02 एमटीपीए क्षमता वाली जहरीली धातु (लैड, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी, क्रोमियम) उत्पादक इकाइयाँ</td>
<td>(i) < 0.02 एमटीपीए क्षमता वाली जहरीली धातु (लैड, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी, क्रोमियम) उत्पादक इकाइयाँ

(ii) गैर विषैली धातुओं के पिघलने से जुड़ी प्रक्रियाएं
<table>
<tr><td>भट्ठी में ईंधन</td><td>श्रेणी बी2</td><td>श्रेणी बी1</td></tr>
<tr><td>1. ठोस या तरल ईंधन</td><td>≥ 0.03 एमटीपीए से < 0.06 एमटीपीए</td><td>≥ 0.06 एमटीपीए</td></tr>
<tr><td>2. गैस ईंधन या बिजली</td><td>≥ 0.06 एमटीपीए से < 0.12 एमटीपीए</td><td>≥ 0.12 एमटीपीए</td></tr>
</table>
(iii) ऐसी प्रकियाएं जिनमें केवल पिकलिंग के साथ गैर विषैली धातुओं को गर्म करना शामिल हैं
<table>
<tr><td>भट्ठी में ईंधन</td><td>श्रेणी बी2</td><td>श्रेणी बी1</td></tr>
<tr><td>1. ठोस या तरल ईंधन</td><td>≥ 0.06 एमटीपीए से < 0.12एमटीपीए</td><td>≥ 0.12 एमटीपीए</td></tr>
<tr><td>2. गैस ईंधन या बिजली</td><td>≥ 0.12 एमटीपीए से < 0.18 एमटीपीए</td><td>≥ 0.18 एमटीपीए</td></tr>
</table>
</td>
<td>पुनर्चक्रण औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है, अर्थात्: -

(क) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016;

(ख) ई-कचरा (प्रबंध) नियम, 2016;

(ग) बैटरी कचरा प्रबंध नियम, 2022.

(ii) धातु कर्मीय उद्योगों के भीतर स्थापित निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों को छूट दी गई है, अर्थात्: -

(क) मद 1(घ) में विनिर्दिष्ट विद्युत संयंत्र के सिवाए संयंत्र या इकाई

(ख) नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (गैर खतरनाक) पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र ।</td>
</tr>
</table>

IndiaCode

				(iii). स्टैंडअलोन रोलिंग या री रोलिंग एक्सट्रुस्सन या पिएर्सिंग या फोर्जिंग या ड्राइंग इकाइयाँ जिसमें किसी भी प्रकार के पिघलने या पिक्लिंग को छूट दी गई है।

[फा. सं. आईए-ज़ेड-11013/83/2022—आईए-II(आईएनडी-I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3840(अ) तारीख 30 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2024

S.O. 2215(E).— Whereas the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, requires prior environmental clearance for the projects or activities specified under Schedule there of (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas the National Green Tribunal vide its order, dated the 12th February, 2020, in Original Application No. 55/2019 (WZ), (Gajubha Jesar Jadeja vs Union of India & Ors.), has, *inter alia,* observed that cold rolled stainless steel manufacturing industries require prior environment clearance;

And whereas the Central Government, had taken a considered decision in line with the above said order of the National Green Tribunal to provide a window period for such cold rolled stainless manufacturing industries to obtain prior environmental clearance under the said notification;

And whereas a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* number S.O. 5020(E), dated the 22nd November, 2023, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public;

And whereas the objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in

the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: -

In the said notification, in the Schedule-

(a) after item 2(b) and entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: -

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
2	**Primary Processing**			
"2(c)	Pellet plant	-	All standalone pellet plant irrespective of capacity	General condition shall apply";

(b) for item 3 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3	**Materials Production**			
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & nonferrous)	(a) Primary metallurgical industry-All projects (b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD (≥0.06MTPA) (c) Secondary metallurgical industry: Toxic metals (Lead, Cadmium, Arsenic Mercury, Chromium) producing units with capacity ≥ 0.02MTPA	- Sponge iron manufacturing <200TPD (<0.06 Million Tonnes Per Annum-MTPA) Secondary metallurgical industry: (i) Toxic metals (Lead, Cadmium, Arsenic, Mercury, Chromium) producing units with capacity < 0.02MTPA (ii) Processes involving melting of nontoxic metals Fuel in the furnace / Category B2 / Category B1 1. Solid or liquid fuel / ≥ 0.03 MTPA to < 0.06 MTPA / ≥ 0.06 MTPA 2. Gas fuel or electricity / ≥ 0.06 MTPA to < 0.12 MTPA / ≥ 0.12 MTPA iii) Processes involving only heating of nontoxic metals with pickling	General Condition shall apply. **Note:** (i) The recycling industrial units registered under following rules are exempted, namely:- (a) the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; (b) the E-Waste (Management) Rules, 2016; (c) the Battery Waste Management Rules, 2022. (ii).The following thermal power plants setup within metallurgical industries are exempted, namely:- (a) plants or units, other than power plants referred to in the item 1(d); (b) thermal power plants based on municipal solid waste (non-hazardous).

IndiaCode

			Fuel in the furnace	Category B2	Category B1	(iii). The Standalone rolling or re-rolling or extrusion or piercing or forging or drawing units not involving any type of melting or pickling are exempted".
			1. Solid or liquid fuel	≥ 0.06 MTPA to < 0.12 MTPA	≥ 0.12 MTPA	
			2. Gas fuel or electricity	≥ 0.12 MTPA to < 0.18 MTPA	≥ 0.18 MTPA	

[F. No. IA-Z-11013/83/2022-IA-II(IND-I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 3840(E), dated the 30th August, 2023.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.07 22:03:37 +05'30'